दिनांक 08.07.2019 को दोपहर 12:00 बजे श्री आर.एस. वर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त रोहतक की अध्यक्षता में NGT के आदेश दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति, रोहतक की बैठक की कार्रवाई रिर्पोट

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री महेश कुमार, नगराधीश, रोहतक।
2. श्री राकेश कुमार, संयुक्त आयुक्त–कम–उपमण्डल अधिकारी (ना0), रोहतक।
3. श्री ताहिर हुसैन, DSP (HQ), रोहतक।
4. श्री कृष्ण कुमार, आर.ओ., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।
5. डा0 टी.एस. बागड़ी, उप सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, रोहतक।
6. श्री मनजीत दहिया, कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक।
7. श्री भानु प्रकाश, कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
8. श्री परेश गर्ग, कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
9. श्री दीपक लोहचब, सचिव –कम–कार्यकारी अधिकारी, मार्किट कमेटी, रोहतक।
10. श्री सतीश कुमार, I.E.O.,
11. श्री एच.एस., नारंग, अधीक्षक, महर्षि दयानन्द युनिर्वसिटी, रोहतक।
12. श्री सतीश मित्तल, महर्षि दयान्नद यूनिर्वसिटी, रोहतक।
13. श्री यदुविन्द्र मोर, एस.डी.ई., हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रोहतक।
14. श्रीमति बिमलेश, DPO, Women & Child Development, Rohtak.
15. श्री अशोक राठी , AIPRO, DIPR, Rohtak.
16. श्री महावीर सिंह, मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम रोहतक।
17. श्री सुन्दर सिंह, सफाई निरीक्षक, नगर निगम रोहतक।

समीक्षा बैठक में सभी का स्वागत करते हुए सभी उपस्थित को दिनांक 18.06.2019 की बैठक के निर्देशों की पालना में निम्न बिन्दुओं पर पुनः समीक्षा की गईः–

1. उपायुक्त महोदय ने नगराधीश, रोहतक को निर्देश दिए कि वे सभी विभागाध्यक्ष से उनके कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रमाण पत्र, कि उन द्वारा गीला व सूखा कूडा अलग–अलग एकत्रित किया जाता है तथा प्रतिबन्धित प्लास्टिंक पोलीथीन का प्रयोग नहीं करते, उनको दिनांक 10.07.2019 तक प्राप्त करने के सख्त निर्देश दिये गए। इन निर्देशों के अवहेलना करने वालों, कूड़े का निष्पादन नियमानुसार न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर जुर्माने के साथ–साथ सम्बन्धित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाए।
2. सचिव –कम–कार्यकारी अधिकारी, मार्किट कमेटी द्वारा सब्जी मण्डी से निकलने वाले गीले कूड़े के निष्पादन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गए कि दिनांक 10.07.2019 तक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा सूखे कूड़े के निष्पादन के लिए नगर निगम रोहतक से Agreement कर निर्धारित चार्ज जमा करवाना सुनिश्चित करें।
3. नगर निगम रोहतक के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सिविल सर्जन कार्यालय, मार्किट कमेटी, नगर पालिका, महम/सांपला/कलानौर द्वारा माननीय NGT की पालना में प्लास्टिक वेस्ट चालान, मलबे का चालान, C&D Waste का चालान न किया जाने को लेकर उपायुक्त महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया और पुनः निर्देश दिये गए कि दिनांक 10.07.2019 तक इस मुद्दे पर नीचे दिए गए <u>प्रोफार्मा</u> में सभी

सम्बन्धित विभाग अपना पूर्ण विवरण भरते हुए एक प्रति नगर निगम रोहतक तथा एक प्रति नगराधीश कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

4. उपायुक्त महोदय द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), रोहतक को अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए नगराधीश रोहतक को उनके स्पष्टीकरण निकालने के आदेश दिये।

नगराधीश रोहतक सभी सरकारी कालोनियों व पुलिस कालोनी का कूड़ा निष्पादन का निरीक्षण करें तथा Solid Waste Management Rule 2016 की पालना न करने वालों की सूची तैयार करवाकर कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करें।

Door to Door Collection

Sr. No.	Name of Department	Status as on 10-7-2019	Signature

Source Segregation

Sr. No.	Name of Department	Status as on 10-7-2019	Signature

Plastic Waste

Sr. No.	Name of Department	Challans as on 10-7-2019	Amount	Signature

Penalties
(Malba, Garbage, Dustbins)

Sr. No.	Name of Department	Challans as on 10-7-2019	Amount	Signature

Bio-Medical Waste

Sr. No.	Name of Department	Status as on 10-7-2019	Signature

C & D Waste

Sr. No.	Name of Department	Challans as on 10-7-2019	Amount	Signature

Report from CTM Rohtak-

	Report	Signature
Ensured that all the departments, their officials / employees have been start the practice of segregation of their home waste/garbage and have kept the separate dustbin for dry and wet waste/garbage in their houses as well as they are not using polythene as per Hon'ble NGT order.		

उपायुक्त,
रोहतक।

पृ0 कमांक 428-450/स्टैनो दिनांक 9/7/2019

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए लिखा जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व NGT द्वारा इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अतः इसे गम्भीरता से लेते हुए दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें:–

1. महापौर, नगर निगम रोहतक।
2. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
3. आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
4. नगराधीश, रोहतक।
5. सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
7. रजिस्ट्रार, PGIMS, रोहतक।
8. CMO, रोहतक।
9. R.O., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण कन्ट्रोल बोर्ड, बहादुरगढ़।
10. डा0 सुखबीर, Dy. M.S., PGIMS, रोहतक।
11. अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
12. अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
13. अधीक्षक अभियन्ता, सिचाई विभाग, रोहतक।
14. AGM, HSIIDC, Rohtak.
15. जिला नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।
16. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।

17. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
18. कार्यकारी अभियन्ता, HSAMB, Rohtak.
19. कार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), नगर निगम रोहतक।
20. कार्यकारी अभियन्ता – I & II, नगर निगम रोहतक।
21. सचिव, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
22. प्रधान, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
23. सचिव, मार्किट कमेटी, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।

पृ0 कमांक 451-458/स्टैनो दिनांक 9/7/2019

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चण्डीगढ़।
3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
4. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला।
5. मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला।
6. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
7. जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, रोहतक।
8. पुलिस अधीक्षक, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।